| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज<br>पोकरराम दैया बनाम लो.सू.अ.( अपर कलक्टर तृतीय जोधपुर )<br>सू.अ.अ. अपील संख्या 257 / 2020 | नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 19.01.21 | अपीलार्थी पोकरराम दैया, पता गांव मोगड़ा कलां, तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 28.10.. 20 में उसके द्वारा (1) एन एच–65 पुरानी एवं नया एन एच 62, जोधपुर पाली रोड़ जो कि फोरलेन बनी है इसमें ग्राम पंचायत मोगड़ा कला के खसरा नं. 226 / 1, 232 / 3, 228 एवं 229, 139 की जमीन अवाप्त की गई थी जिसका मुआवजा प्राप्त करने के लिए दावदारों द्वारा जो दस्तावेज पेश किये गये उन सम्पूर्ण दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( अपर कलक्टर तृतीय जोधपुर ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।<br><br>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष ( अपर जिला कलक्टर तृतीय जोधपुर ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।<br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर तृतीय जोधपुर ) आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर तृतीय जोधपुर ) को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित सूचना अपीलार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। | |